



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 2243/7 सी०

दिनांक 25 / नवम्बर 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:

जनपद-अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत कठपुड़िया से कलोडिया (कतुनिया) तक मोटर मार्ग लम्बाई 1.850 कि०मी० में प्रभावित 0.536 है० वन भूमि का गैर वानिकी-कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं० 16999/2015)

संदर्भ:-

ऑनलाईन ई०डी०एस० दिनांक 06.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पृष्ठांकन पत्र सं० मैमो/12-1(2) दिनांक 29.11.2019 से 4 बिन्दुओं पर इस कार्यालय को आपत्तियाँ सूचित की गयी थी जिनमें से बिन्दु सं० 1 व 4 की सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित एवं बिन्दु सं० 2, 3 की सूचना आपके कार्यालय से प्रेषित की जानी थी। बिन्दु सं० 1 व 4 का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं० 897/7सी० दिनांक 17 जून 2020 से आपको प्रेषित किया जा चुका है(पत्र की प्रति संलग्न)। वर्तमान में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु सं० 2, 3 पर सूचना पुनः चाही गयी है, जो आपके कार्यालय से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में नोडल स्तर से प्राप्त आपत्तियों के बिन्दु सं० 2, 3 पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए पूर्ण प्रकरण संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:

/7सी०

तददिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्राक ४९७/७ सी०
सेवा में,

दिनांक १७ जून 2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:

जनपद-अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत कठपुडिया से कलोडिया (कतुनिया) तक मोटर मार्ग लम्बाई 1.850 कि०मी० में प्रभावित 0.536 है० वन भूमि का गैर वानिकी-कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं० 16999/2015)

संदर्भ:-
महोदय,

आपका पृष्ठांकन पत्र सं० मैमो/12-1(2) दिनांक 29.11.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

S.No	Objection	निराकरण
1	In reply to point No. 4, VLC proceedings of village Kalodiya still not found uploaded. State Govt may upload the same.	ग्राम कलोडिया का ग्राम स्तरीय बैठक का प्रपत्र पार्ट 1 के पैरा के० में अपलोड किया गया है। ग्राम कलोडिया, बंगसर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है।
2	In reply to point No. 7, density now mentioned as 0-2 from 0-3 which still incorrect as it seems to be more than 0-3 State Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information in view of the number of trees present in the proposed area.	बिन्दु सं० 2 की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से संबंधित है।
3	In reply to point No. 9, DFO comments are still not found uploaded against para 5.3 in his SIR. State Govt. may do the needful in this regard.	बिन्दु सं० 3 की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से संबंधित है।
4	In the reply to the point No 10, it is submitted that two villages mentioned to be benefited from the road i.e. Bangsar (population 156) and Kalodiya (population 56). Village Bangsar seems to be at start point and already connected. State Govt, may submit path distance of kalodiya from the end point of road at Bangsar and also justify the requirement of the road to connect village Kalodiya whose population is only 56 and affecting trees are 95.	ग्राम बंगसर से कलोडिया तक पैदल मार्ग की लम्बाई लगभग 1 कि०मी० है। उक्त क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें यातायात का साधन न होने के कारण ग्रामवासियों को बाजार, अस्पताल जाने अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों की आवश्यकता को देखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण नितान्त आवश्यक है। प्रस्तावित मोटर मार्ग से न्यूनतम 95 वृक्षों का पातन निहित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार स्तर से प्राप्त आपत्तियों के बिन्दु सं० 2, 3 पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए पूर्ण प्रकरण संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

0/c